बिखरते परिवार का सहारा–राष्ट्रीय लोक अदालत

–:: सफल कहानी ::–

दिनांकः 09 मार्च, 2019

प्रार्थिया/पत्नी ने प्रार्थी/पति के विरूद्व दिनांक 26.02.2013 को पारिवारिक न्यायालय, अजमेर में विवाह–विच्छेद हेतु याचिका प्रस्तुत की। प्रकरण न्यायालय में साक्ष्य अप्रार्थी हेतु नियत चल रहा था कि इसी दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले को भेजा जाना उचित समझा गया जिस पर समझाईश के दौरान दोनों पति–पत्नी एक साथ रहने पर सहमत हुए और सहमति के आधार पर पत्नी ने अपनी तलाक याचिका न्यायालय से वापस ले ली।

इस प्रकार इस मामले में पति–पत्नी दोनों पिछले करीब 25 वर्षो से अलग–अलग रह रहे थे। राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से दोनों पक्षों के मध्य विवाद का अन्त हुआ। न्यायालय में दोनों पक्षों को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर घर के लिए भेजा गया। इस प्रकार लोक अदालत बिखरते परिवार का सहारा बनी और पति–पत्नी के बीच के रिश्ते टूटने बच गये।

राष्ट्रीय लोक अदालत के कारण रिश्ते टूटने से बचे

सफल कहानी

दिनांकः— 09 मार्च,2019

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्व दिनांक 24.05.2004 को अचल सम्पत्ति के बॅटवारें एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष बाबत् एक वाद जिला न्यायालय, अजमेर में पेश किया। वाद के विचारण के दौरान प्रतिवादी का निधन हो जाने से उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया और प्रत्येक तारीख पर न्यायालय में सुनवायी की जाती रही।

दिनांक 09.05.2018 को प्रकरण में न्यायालय की ओर से राजीनामे के प्रयास कराये गये लेकिन विफल रहे। फिर प्रकरण मध्यस्थता हेतु दिनांक 24.01.2019 को मध्यस्थता केन्द्र,अजमेर भेजा गया। मध्यस्थ के प्रयासों से पक्षकारों के मध्य वार्ता हुई और राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों ने दिनांक 09.03.2019 को आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर विवादित सम्पत्ति का आपसी बॅटवारा कर लिया।

इस प्रकार करीब **15 साल** पुराने मामले का राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से राजीनामा करवाकर फैसला किया गया। अब पक्षकारों के विवाद का अन्तिम रूप से निर्णय हो चुका है, जिसके विरूद्व न अपील सम्भव है और न ही भविष्य के लिए कोई विवाद शेष बचा है।

समझाईश से बच्चों को मिला माता–पिता का प्यार और टूटने से बचे रिश्ते

सफल कहानी

दिनांकः– 09 मार्च,2019

जयपुर की एक पारिवारिक न्यायालय में पत्नी ने अपने पति के विरूद्व तलाक याचिका पेश की जिसमें पत्नी ने अपने पति से विभिन्न आधारों पर तलाक चाहा। पति–पत्नी के विवाह–संयोग से एक पुत्र व एक पुत्री का जन्म हुआ। मामला न्यायालय में चल रहा था कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण को राजीनामा योग्य पाते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए नियत किया।

दिनांक 09.03.2019 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में समझाईश करावाकर पक्षकारों को साथ–साथ रहने के लिए प्रेरित किया तो पक्षकारान ने लोक अदालत की बैंच की सलाह व राय मानते हुए बच्चों के सामने साथ रहना स्वीकार किया, जिस पर पक्षकारान को न्यायालय से ही साथ–साथ भेजकर राजीनामा कराते हुए विवाद का अन्त कराया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के कारण–भाई मिले गले

सफल कहानी

दिनांकः– 09 मार्च,2019

वर्ष 2000 में नागौर जिले की डेंगाना न्यायालय में वादी ने अपने भाई के विरूद्व शामलाती चौक व गुवाड़ी में पत्थर डालने व अतिक्रमण करने के विरूद्व एक दीवानी वाद दायर किया जो लम्बे समय तक न्यायालय में लम्बित चलता रहा।

दिनांक 09.03.2019 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझाईश से शामलाती चौक से अतिक्रमण हटाते हुए राजीनामा कराया गया और दोनों भाईयों के मध्य उपजा विवाद शान्त हुआ।

इस प्रकार न्यायालयों में मुकदमों के बढ़ते बोझ व जटिल विधिक प्रक्रिया से दूर रहकर समय व धन के अपव्यय से बचकर दोनों भाईयों ने आपसी मनमुटाव को भुलाकर राष्ट्रीय लोक अदालत से अपने मामले का निस्तारण करवाया। इस प्रकार दोनों भाईयों के मध्य रिश्ते कायम होना सम्भव हुआ। दोनों भाईयों ने न्यायालय में गले मिलकर खुशी का इजहार किया।